न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारी— अंजु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 255/2019

1. पूरणमल यादव पुत्र घासीराम यादव उम्र 45 साल (सामाजिक कार्यकर्ता) जाति अहिर निवासी पुरानावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

—प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— श्री रविन्द्र जाखड़ एडवोकेट— प्रार्थी
श्री विमल मोदी एडवोकेट— अप्रार्थी

## निर्णय

दिनांक : 12.9.2019

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि भूमि नया ख.नं. 1262 रकबा 1.76 हे.जिसके पुराने ख.नं. 792 कस्बा नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना में स्थित है। जिसकी खातेदारी मन्दिर श्री नृसिंह जी बाके दे हके नाम से दर्ज है।

मन्दिर श्री नृसिंह जी शाश्वत नाबालिग है मन्दिर की भूमि पर किसी दीगर व्यक्ति को अतिक्रमण करने, कब्जा करने, निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। विवादित भूमि पर असामाजिक तत्व एवं राजनैतिक प्रभावशाली एवं भूमाफिया व्यक्तियों द्वारा जबरन अतिक्रमण कर अपने नये हक एवं अधिकार कायम करने हेतु निर्माण कार्य जबरन करने तथा भू.अ.नि. नीमकाथाना द्वारा दिनांक 6.08.2019 को निर्माण कार्य बन्द कराया जाकर मौके की रिपोर्ट प्रेषित हुई।

अप्रार्थी द्वारा अपने पदपर रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग किया जाकर भूमाफिया व्यक्तियों को लाभ अर्जित कराने की नियत से अवैध अतिक्रमण कराकर निर्माण कार्य गैर कानूनी तरीके से कराया जा रहा है। उक्त भूमि की हर प्रकार से सुरक्षा हेतु अप्रार्थी को राज्य सरकार की ओर से पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त है एवं कर्तव्य है। अप्रार्थी द्वारा आम तथ्यों की अनदेखी कर विवादित भूमि का स्वरूप परिवर्तन कर दिये जाने की सूरत में आमजन का धार्मिक आस्था एवं धार्मिक भावनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा व काफी अपूर्णीय क्षति होगी।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner

पटवारी हल्का की मौके की स्थिति की रिपोर्ट पेश होने के पश्चात भी अतिक्रमणीयों का प्रतिवादी द्वारा सहयोग किये जाने पर व मौका स्वरूप परिवर्तन कराने पर उतारू होने पर अन्दर क्षेत्र न्यायालय पैदा हुआ है। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। विवादित भूमि की खातेदारी राजस्व अभिलेख में नाबालिग होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि ख.नं. 1262 पुरना ख.नं. 792 करवा नीमकाथाना पर किसी भी प्रकार से किसी दीगर का अतिक्रमण, कब्जा, निर्माण नहीं करवाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर अमल दरामद न कराई जावे ना ही मन्दिर भूमि के स्वरूप में परिवर्तन कराया जावे तथा अतिक्रमणीयों को विवादित भूमि से जबरन बेदखल कर मन्दिर भूमि को सुरक्षित करवाने का आदेश कर पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजों की सूची के साथ जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 ख.नं. 1262 नीमकाथाना, जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 की फोटो प्रति, पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 6.8.2019 की फोटो प्रति, प्रार्थना पत्र दिनांक 30.7.2019 तहसीलदार द्वारा जारी फोटो प्रति, प्रार्थना पत्र दिनांक 6.8.19 की फोटो प्रति, प्रार्थना पत्र 6.8.19 जिला कलेक्टर सीकर की फोटो प्रति, प्रार्थना पत्र दिनांक 6.8.19 तहसीलदार नीमकाथाना की फोटो प्रति, प्रार्थना पत्र दिनांक 7.8.19 उपखण्ड कार्यालय नीमकाथाना को दी गई की फोटो प्रति, प्रार्थना पत्र दिनांक 20.8.2019 सम्भागीय आयुक्त की फोटो प्रति आदि प्रस्तुत की गई है।

उक्त तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत हुआ । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते सुनवाई नोटिस विरूद्ध अप्रार्थी जारी किया गया।

अप्रार्थी मय अधिवक्ता श्री विमल कुमार मोदी उपस्थित हुआ एव अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं का खण्डन करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया।

दौराने बहस विज्ञ अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दौहराते हुए तर्क दिया कि विवादित भूमि मंदिर श्री नृसिंह जी के नाम से दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा मंदिर भूमि की सुरक्षा नहीं की जाकर भूमाफियों से मिल कर अतिक्रमण करवाया जा रहा है। प्रार्थी सामाजिक कार्यकर्ता होने से शाश्वत नाबालिग की भूमि की सुरक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित हो रहा है। अतः अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि किसी दीगर का अतिक्रमण, कब्जा, निर्माण नहीं करवाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर अमल दरामद न कराई जावे ना ही मन्दिर भूमि के स्वरूप में

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner

परिवर्तन कराया जावे तथा अतिक्रमणीयों को विवादित भूमि से जबरन बेदखल कर मन्दिर भूमि को सुरक्षित करवाने का आदेश कर पावन्द फरमाया जावे।

दूसरी ओर विज्ञ अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है। विवादित भूमि पर कदीमी आवादी वसी हुई है जो मोहल्ला चूडावास के नाम से जाना जाता है। अप्रार्थी तहसीलदार को गलत पक्षकार बनाया गया हैं । सरकार को पक्षकार बनाने से पहले 80 सी.पी.सी. का नोटिस भी नहीं दिया गया है। निर्माण आदि कार्य जिनके द्वारा किया जा रहा है उनको व नगरपालिका को पक्षकार बनाना चाहिए था। नगरपालिका नीमकाथाना द्वारा निर्माण स्वीकृति तथा नामान्तकरण दर्ज किया हुआ है। विवादित भूमि जरिए विक्रय पत्र दिनांक 27.5. 2058 को क्रय की गयी है। मकानात पहले से बने हुए है। पुराने मकानों की मरम्मत आदि की जा रही है। निर्माण कर्ता के हित वादग्रस्त भूमि में निहीत है। दस्तावेजात की सूची के साथ फोटो प्रति वैनामा, वसीयतनामा, सूचना न.पा 7.10 83, रसीद न.पा. 12.12.83, प्रशासन शहरों के संग अभियान में नामान्तकरण 2005. ररीद 26.7.2019 दो, 27.6.05, आज्ञा पत्र निर्माण कार्य दिनाक 1.10.83 आदि प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

रिव्यूटल में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा इसी जगीन में निवास कर रहे अन्य अतिक्रमियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय हाजा में दावा प्रस्तुत कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गयी है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित अतिक्रमी के विरूद्ध दावा एवं टी.आई. किस कारण से प्रस्तुत नहीं की गयी। जवकि विवादित भूमि मंदिर नृसिंह की रही है। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पक्षपात करने के उपरान्त प्रार्थी (सामाजिक कार्यकर्ता)द्वारा दावा एवं टी.आई. प्रस्तुत की गयी है। इसकी भी जांच होनी चाहिए।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अधोपान्त अवलोकन किया गया। विवादित ख.नं. 1262 प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 कस्बा नीमकाथाना के खातेदारी मन्दिर श्री नृसिंह जी वाके देह के नाम से दर्ज होना पाई जाती है। इसी जमाबंदी मे आबादी दर्ज होना दर्शाया गया है। प्रस्तुत समस्त रिकार्ड से भली भांति जाहिर होता है कि विवादित भूमि पर कस्बा नीमकाथाना की पुरानी आबादी वसी हुई है। अप्रार्थी एक लोक अधिकारी है । हस्तगत प्रकरण में लोक अधिकारी के विरूद्ध दीवानी प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना नहीं पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अतिशीघ्र अनुतोष प्राप्त करने बाबत भी प्रार्थना पत्र के साथ 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिया गया है। जिस व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है उसको तथा संबंधित नगरपालिका को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यह प्रमाणित होता है कि तथाकथित अतिक्रमी विवादित भूमि पर निर्माण आदि कर कदीमी निवास करते आ रहे है । प्रार्थी का यह कथन तो सही है कि अप्रार्थी(तहसीलदार) द्वारा मंदिर नृसिंह कस्बा

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner

नीमकाथाना की इसी भूमि से संबंधित वाद एवं टी.आई. प्रस्तुत कर रखे है तथा स्थगन भी प्राप्त किया हुआ है। यथा मु.नं. 64/2019 दावा तहसीलदार बनाम किशनलाल, प्रा.पत्र संख्या 119/2019, मु.नं. 83/2019 सरकार बनाम केशव देव, मु.नं. 84/2019 सरकार बनाम दिनेश आदि प्रस्तुत किये हुए है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित अतिक्रमी के विरूद्ध तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा कार्यवाही क्यो नही की गयी यह विषय प्रकरण से भिन्न है। इस प्रकार लोक अधिकारी/राज्य सरकार के विरूद्ध अस्थई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियो, प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.9.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से हम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना।
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner